महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।

MAHARAJA SUHEL DEV RAJYA VISHWAVIDYALAYA, AZAMGARH, UTTAR PRADESH

प्रवेश सूचना विवरणिका

Admission Information Brochure 2024-25

Email: registrar@msdsu.ac.in

website: www.msdsu.ac.in

<u>श्रीमती आनंदीबेन पटेल</u>

माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

एवं माननीय कुलाधिपति

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

विश्वविद्यालय के बारे में

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या- 1446/79-वी-1-19-1(के)-3-19, लखनऊ, दिनांक 5 अगस्त 2019 के माध्यम से की गई थी। अधिसूचना संख्या- 610/सत्तर-1-2021-16(74)2018 टीसी, लखनऊ, दिनांक 28 अप्रैल 2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से प्रारम्भ किया गया। यह राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है जिसका आवासीय परिसर आजमगढ़ में है और संबद्ध कॉलेज उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आजमगढ़ और मऊ के दो जिलों में फैले हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने तक उपरोक्त दोनों जिलों के संबद्ध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से संबद्ध थे | वर्तमान में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से 453 महाविद्यालय संबद्ध हैं, जिनमें 14 अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय, 4 राजकीय महाविद्यालय और 435 स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय शामिल हैं।

आजमगढ़ एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ऐतिहासिक शहर है | आजमगढ़ कमिश्नरी और जिला मुख्यालय है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 260 किमी (लगभग 3 घंटे की दूरी) पूर्व में स्थित है तथा तीन मुख्य सतही राजमार्गों, लखनऊ और बलिया के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर (106 किमी) और वाराणसी (95 किमी) मार्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-24 और आजमगढ़ और बलिया के बीच राज्य राजमार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय गाजीपुर रोड (समेदा रोडवेज वर्कशॉप) से 2.4 किमी. के चार लेन मार्ग से जुड़ा है |

विश्वविद्यालय आवासीय एवं सम्बद्धता प्रकृति का है | आवासीय प्रकृत्यानुसार विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न संकायों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा पी. एच-डी. पाठ्यक्रम चलाने की सुविधा है | विश्वविद्यालय मे गत सत्र 2023-24 से कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रबंधन संकायों में 16 स्नातकोत्तर व एक स्नातक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नियमित रूप से संचालित किये जा चुके हैं। विश्वविद्यालय अपने नवनिर्मित आधुनिकतम परिसर में वर्तमान सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर स्तर के आठ नए पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है | इस सत्र से संचालित किये जाने वाले कुल 25 पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण इस विवरणिका में आगे दिया गया है | विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अकादमिक छवि कायम करने के लिए कटिबद्ध है |

प्रो. प्रदीप कुमार शर्मा
कुलपति

<u>सन्देश</u>

अत्यंत हर्ष का विषय है कि नवस्थापित - नवनिर्मित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ सत्र 2023-24 से 16 विषयों में स्नातकोत्तर व 01 विषय में स्नातक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार संचालित कर चुका है और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षण एवं शोध कार्य (स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी. एच-डी.) सम्पन्न करने हेतु 11 संकायों के अन्तर्गत 30 शैक्षणिक विभागों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 210 पद स्वीकृत किये गये हैं। सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय में कुल मिलकर 25 विभागों / विषयों (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एम. कॉम., एल-एल.एम.. कम्प्यूटर साइंस, समेकित विज्ञान (इन्टीग्रेटिव साइंस), गणित, मास्टर इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, विजुअल आर्ट, आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा केवल प्रबंधन में स्नातक पाठ्यक्रम (बी०बी०ए०) में प्रवेश प्रारम्भ कर रहा है। विश्वविद्यालय उपरोक्त 25 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 20 जून 2024 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहा है। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www-msdsu-ac-in अथवा https://campusadmission-msdsuonline-in के माध्यम से मेरिट के आधार पर सम्पन्न की जाएगी। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, पुलिस चौकी, विद्युत केंद्र, एस.टी.पी. प्लांट, आवासीय भवनों आदि के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं हेतु दो बड़े-2 शैक्षणिक भवन, पुरुष एवं महिला छात्रावास एवं प्रयोगशालाएं होंगी | विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को पठन-पाठन एवं शोध कार्य हेतु अनुशासनप्रिय, गुणवत्तापरक, हरा-भरा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय अपनी प्रशासनिक एवं अकादमिक गतिविधियों में पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता एवं डिजीटाइजेसन/ राज्य सरकार द्वारा निर्देशित समर्थ पोर्टल के उपयोग हेतु कृत संकल्प है। मैं विश्वविद्यालय में नवागत छात्र-छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

कुलपति

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ	05
2.	शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश सम्बन्धी सूचना	06
3.	स्नातक पाठ्यक्रम-सीटों की संख्या एवं अर्हता	08
4.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम- सीटों की संख्या एवं अर्हता	08
5.	विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क संरचना	12
6.	आरक्षण	14
7.	भारांक	15
8.	अन्य सामान्य नियम व अनुदेश	16
9.	एंटी रैगिंग शपथपत्र का प्रारूप	18

प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ
(Important Dates related to Admission Process)

क्र.सं.	विवरण	प्रारम्भ	अंतिम
1	विश्वविद्यालय के स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना।	20.06.2024	18.07.2024
2	फॉर्म सुधार/शैक्षणिक योग्यता की पुनः प्रविष्टि	19.07.2024	21.07.2024
3	ऑनलाइन मेरिट सूची जारी करने की तिथि	24.07.2024	....
4	स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रमों में कॉउन्सलिंग(ऑफ लाइन) / प्रवेश की तिथि	26.07.2024	29.07.2024
5	प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के कॉउन्सलिंग(ऑफ लाइन) / प्रवेश की तिथि	30.07.2024	31.07.2024
6	विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन/ कक्षारम्भ की तिथि	01.08.2024	....

शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश संबंधित सूचना

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय में संचालित होने जा रहे स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 20 जून 2024 से 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश (Guidelines for Application Form)

1. आवेदन पत्र (**Application Form)**

1.1 प्रवेशहेतु निर्धारित आनलाइन आवेदन-पत्र पूरित करने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msdsu.ac.in या www.campusadmission.msdsuonline.in पर दिये गये समस्त निर्देशों को भली भांति पढ़कर उसका पालन करते हुए आवेदन-पत्र में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें।

1.2 आनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व नवीनतम खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपने पास पेनड्राइव या अन्य तरीके से सुरक्षित रख लें। आनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय इसकी आवश्यकता होगी।

1.3 अभ्यर्थियों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग – अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा | एक ही आवेदन पत्र को सभी कक्षाओं / पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1.4 विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 से संचालित होने जा रहे स्नातक पाठ्यक्रम (बी.बी.ए.) में प्रवेश इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांक से बनी मेरिट के आधार पर सम्पन्न किया जाएगा। (बी.बी.ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इन्टरमीडिएट में न्यूनतम 45% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होना आवश्यक है तथा हाई स्कूल की परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो |

1.5 विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 से संचालित होने जा रहे स्नातकोत्तर के 15 पाठ्यक्रमों में प्रवेश स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक से बनी मेरिट के आधार पर सम्पन्न किया जाएगा। विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता पाठ्यक्रम विवरण के साथ आगे पृष्ठ संख्या 6 पर दी गयी है |

1.6 **सत्र 2023-24 में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राएं सत्र 2024 -25 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें आवेदन पत्र में Appearing अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा और साथ ही निर्धारित तिथियों में अपने स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे अन्यथा उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा | Appearing अभ्यर्थियों के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम उनके विश्वविद्यालयों से जारी न होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया न ही रोकी जाएगी और न ही विलम्बित की जाएगी | महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा |**

1.7 अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय में प्रवेश के उपरांत विषय मे कोई परिवर्तन नहीं होगा |

1.8 प्रवेश के लिए आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी को महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वेबसाइट पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और आवेदन में रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करना आवश्यक होगा |

1.9 अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। किसी विषय में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश अथवा अन्य शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य किसी पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।

2.0 प्रवेश हेतु काउंसलिंग के लिए मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट वेबसाइट www.msdsu.ac.in या www.campusadmission.msdsuonline.in पर जारी की जाएगी |

2.1 प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को स्थानान्तरण / प्रवजन प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र अनिवार्यतः जमा करना होगा | शपथ-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

2.2 स्नातकोत्तर के 24 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। किन्तु प्रायोगिक विषय हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है।

2.3 प्रवेश आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तथा आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

2.4 प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट ऑनलाइन जारी होगी। निर्धारित सीटों के सापेक्ष उसी दिन उतनी ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को प्रवेश हेतु बुलाया जायेगा।

2.5 यदि एक स्थान की रिक्ति हो और दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट के अंक बराबर हो तो इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा, यदि इंटरमीडिएट के अंक बराबर हो तो हाईस्कूल के अंकों के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा | यदि हाईस्कूल के अंक भी बराबर हुए हो तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा |

2.6 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित अथवा मोबाइल मैसेज द्वारा सूचित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थी को कॉउन्सलिंग मे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की मुद्रण त्रुटिके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। प्रवेश/ काउंसलिंग के लिए सूचित तिथि, स्थान एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

2.7 प्रवेश काउसिंलिंग के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का अंकपत्र तथा अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.8 प्रवेशार्थी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय जिस मोबाइल नम्बर को अंकित किये है उस नम्बर को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखें। मोबाइल नम्बर बदल जाने के कारण मैसेज प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभ्यर्थी अपने अभिभावक का मोबाइल नम्बर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य भरें।

प्रवेश आवेदन शुल्क का विवरण
(Details of Online Application Fee)

स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन शुल्क **रुपये 250/-** दिए गए ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे से जमा करना अनिवार्य होगा।

पाठ्यक्रम विवरण

I-स्नातक पाठ्यक्रम - सीटों कीसंख्या एवं अर्हता
(Details of Undergraduate Programs - Number of Seats and Eligibility)

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	सीट संख्या (EWS सहित)	पाठ्यक्रम अवधि	अर्हता
1.	बी0बी0ए0 / B.B.A.	50+05=55	3 वर्ष/ 6 सेमेस्टर	न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट / हायर सेकेंडरी (i.e. 10+2) परीक्षा उत्तीर्ण (एस-सी /एस-टी के लिए न्यूनतम 40% अंक) तथा हाई स्कूल परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो	

II- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम- सीटों की संख्या एवं अर्हता
(Details of Post Graduate Programme - Number of Seats and Eligibility)

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	सीट संख्या (EWS सहित)	पाठ्यक्रम अवधि	अर्हता
1.	एम0ए0-हिन्दी M.A.-Hindi	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
2.	एम0ए0-संस्कृत M.A.-Sanskrit	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
3.	एम0ए0-अंग्रेजी M.A.-English	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)

4.	एम.ए.-इतिहास M.A.-History	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
5.	एम0ए0-अर्थशास्त्र M.A.-Economics	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
6.	एम0ए0- राजनीति विज्ञान M.A.-Political Science	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
7.	एम0ए0- समाजशास्त्र M.A.-Sociology	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
8.	एम0ए0- मनोविज्ञान M.A.-Psychology	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों सहित मनोविज्ञान विषय के साथ (3 वर्षीय) स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
9.	एम0 काम0 M.Com.	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ कामर्स मे (3 वर्षीय) स्नातक उपाधि (बी.कॉम) (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
10.	मास्टर इन जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन Master in Journalism and Mass Communication	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
11.	एम0ए0/ एम0एस-सी0-गणित M.A./M.Sc. Mathematics	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों सहित गणित विषय के साथ (3 वर्षीय) स्नातक उपाधि | (एससी / एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
12.	एम0ए0/ एम0एस-सी0-भूगोल M.A./M.Sc. Geography	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों सहित भूगोल विषय में (3 वर्षीय) स्नातक उपाधि | (एससी/ एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
13.	एम0एस-सी0- इंटीग्रेटिव साइंस M.Sc. Integrative Science	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ विज्ञान में (प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान) में स्नातक उपाधि (एससी/ एसटी के लिए न्यूनतम 40%अंक)
14.	एम0एस-सी0 -कंप्यूटर विज्ञान M.Sc. Computer Science	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों सहित कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ (3 वर्षीय) स्नातक की उपाधि। (एससी/ एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
15.	एलएल.एम. LL.M.	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में 3/5 वर्षीय स्नातक उपाधि (एलएल.बी.) (एससी/एसटी के लिए न्यूनतम 45% अंक)
16.	एम0 ए0 / एम0 एस-सी0- गृह विज्ञान M.A./M.Sc. Home Science	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों सहित गृह विज्ञान विषय के साथ (3 वर्षीय) स्नातक की उपाधि। (एससी/ एसटी के लिए न्यूनतम 40% अंक)
17.	M. Sc. Food Science & Technology एम0 एस-सी0 खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.Sc. Agri./ B.Sc. Horti. / B.Sc. (Hons.) Agriculture/ B.Sc. (Hons.) Horticulture / B.Sc. (Hons.) Food Sci. & Tech./ B. Sc. or B. Tech. in Food Technology/ B.Sc. (Hons.) Food Nutrition and Dietetics/ B. Sc. Home Science/ B. Sc. with Biochemistry/Microbiology/B.Tech. (Agri. Engg.)/ B. E. (Food Technology / Food Engineering / Food Engineering and Technology / Food Process Engineering / Food Technology and Management / Dairy Technology / Agricultural Process Engineering /

				Agricultural Engineering / Food Processing and Management/B. Tech. (Postharvest Engineering / Technology) with a minimum of 45% marks in aggregate or equivalent CGPA that is relaxable up to 5% for SC/ST candidates. बी.एस-सी. कृषि/ बी. एस-सी. हॉर्टी./ बी. एस-सी. (ऑनर्स) कृषि/ बी.एस-सी. (ऑनर्स) बागवानी / बी. एस-सी. (ऑनर्स) खाद्य विज्ञान। एवं टेक./ बी. एस-सी. या बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी में / बी. एस-सी. (ऑनर्स) फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स/ बी. एस-सी. गृह विज्ञान/ बी. एस-सी. बायोकैमिस्ट्री / माइक्रोबायोलॉजी/बी.टेक के साथ। (कृषि इंजीनियरिंग)/ बी.ई. (खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य इंजीनियरिंग / खाद्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरिंग / खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन / डेयरी प्रौद्योगिकी / कृषि प्रक्रिया इंजीनियरिंग / कृषि इंजीनियरिंग / खाद्य प्रसंस्करण और प्रबंधन / बी.टेक. (पोस्टहार्वेस्ट) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी) कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% तक की छूट है।
18.	M. Sc. (Ag) in Agricultural Economics एम. एस-सी. (कृषि) कृषि अर्थशास्त्र में	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.Sc. Ag.(4 year) / Horticulture / Agril. Marketing and Co-operation/ Forestry /B.Sc. (Hons.) Agriculture/ B.Sc. Dairying/B.Sc. Dairying (Dairy Tech.)/ B. Tech. (Dairy Tech.)/ B. V. Sc. & AH/ B.Sc. (Animal Sciences) /B. F. Sc. with a minimum of 45% marks in aggregate or equivalent CGPA that is relaxable up to 5% for SC/ST candidates. बीएससी एजी (4 वर्ष / बागवानी / कृषि विपणन और सहयोग / वानिकी / बीएससी (ऑनर्स) कृषि / बीएससी डेयरी / बीएससी डेयरी (डेयरी तकनीक) / बी.टेक (डेयरी तकनीक) / बी.वी.एससी. और एएच / बीएससी (पशु विज्ञान) / बी.एफ.एससी. न्यूनतम 45% कुल अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ जो एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% तक छूट योग्य है।
19.	M.A./Master of Visual Art (M.V.A) in Painting पेंटिंग में एम.ए./मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (एम.वी.ए)	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.F.A/B.V.A/B.A with drawing and painting ad one subject with minimum of 45% marks or equivalent grade from a recognized University (Relaxation of 5% marks for SC/ST candidates). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ ड्राइंग और पेंटिंग में से किसी एक विषय के साथ बी.एफ.ए/बी.वी.ए/बी.ए. (एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों की छूट)।
20.	MBA Hospitality and Tourism Management (MBA-HTM) एमबीए आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन (एमबीए-एचटीएम)	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	Bachelor's degree in any discipline with a minimum of 45% marks in aggregate or equivalent CGPA that is relaxable up to 5% for SC/ST candidates OR Level 7 NSQF certificate OR B. Voc. in Hospitality &Tourism Management किसी भी विषय में स्नातक, न्यूनतम 45% अंकों के साथ डिग्री या समकक्ष सीजीपीए जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5% तक की छूट है। या लेवल 7 एनएसक्यूएफ प्रमाणपत्र या बी. वोक। किसी भी अनुशासन में
21.	M. Sc. Chemistry एम0एस-सी0 रसायन विज्ञान	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.Sc./B.Sc.(Wanderers) with Physics as a subject in all three years of Graduation or equivalent CGPA with relaxation up to 5% for SC/ST General. बी. एस-सी. / बी. एस-सी. (ऑनर्स) स्नातक के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान के साथ कुल मिलाकर न्यूनतम

				45% अंक या समकक्ष सीजीपीए जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% तक की छूट है।
22.	M. Sc. Physics एम0एस-सी0 भौतिक विज्ञान	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.Sc. / B.Sc. (Hons.) with Physics as a subject in aggregate in all three years of Graduation or equivalent CGPA with relaxation up to 5% for SC/ST candidates. बी. एस-सी. / बी. एस-सी. (ऑनर्स) स्नातक के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान के साथ कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक या समकक्ष सीजीपीए जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% तक की छूट है।
23.	M. Sc. Zoology एम0एस-सी0 जन्तु विज्ञान	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.Sc. / B.Sc. (Hons.) with Zoology as a subject in all three years of Graduation with minimum 45% marks in aggregate or equivalent CGPA with relaxation up to 5% for SC/ST candidates. बी. एस-सी. / बी. एस-सी. (ऑनर्स) स्नातक के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में प्राणि विज्ञान के साथ कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक या समकक्ष सीजीपीए जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% तक की छूट है।
24.	M. Sc. Botany एम0एस-सी0 वनस्पति विज्ञान	30+03=33	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	B.Sc. / B.Sc. (Hons.) with Botany as a subject in all three years of Graduation with minimum 45% marks in aggregate or equivalent CGPA with relaxation up to 5% for SC/ST candidates. बी. एस-सी. / बी. एस-सी. (ऑनर्स) स्नातक के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान के साथ कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक या समकक्ष सीजीपीए जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5% तक की छूट है।
25	M.B.A. in Agri-Business Management कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में एम.बी.ए.	22+02=22		Bachelor's degree (four years) in Agriculture or allied disciplines of Agriculture, Agricultural Engineering/ Dairy Science/ Dairy Technology/ Fisheries/ Food Science/ Food Technology/ Forestry/ Horticulture/ Veterinary Science with credit based course programme. OR Master's degree in Agriculture or allied disciplines of Agriculture, Agricultural Engineering/ Dairy Science/ Dairy Technology/ Fisheries/ Food Science/ Food Technology/ Forestry/ Horticulture/ Veterinary Science with credit based course programme कृषि या कृषि, कृषि इंजीनियरिंग/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/मत्स्य पालन/खाद्य विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/वानिकी/बागवानी/पशु चिकित्सा विज्ञान के संबद्ध विषयों में स्नातक की डिग्री (चार वर्ष) क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम कार्यक्रम के साथ। या कृषि या कृषि, कृषि इंजीनियरिंग/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन / खाद्य विज्ञान / खाद्य प्रौद्योगिकी / वानिकी / बागवानी / पशु चिकित्सा विज्ञान के संबद्ध विषयों में मास्टर डिग्री क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम कार्यक्रम के साथ

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़

विश्वविद्यालय परिसर मे संचालित पाठ्यक्रमों के लिए सेमेस्टर के अनुसार निर्धारित शुल्क

(अकादमिक सत्र 2024-25)

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क (रुपये में)					
		प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर	षष्ठ सेमेस्टर
1	बी0 बी0 ए0 B.B.A.	6865.00	3500.00	5315.00	3500.00	5315.00	3900.00
2	एम0 ए0 हिन्दी M.A. Hindi	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
3	एम0 ए0 संस्कृत M.A. Sanskrit	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
4	एम0 ए0 अंग्रेजी M.A. English	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
5	एम0 ए0 इतिहास M.A. History	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
6	एम0 ए0 अर्थशास्त्र M.A. Economics	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
7	एम0 ए0 राजनीति विज्ञान M.A. Political Science	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
8	एम0 ए0 समाजशास्त्र M.A. Sociology	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
9	एम0 ए0 मनोविज्ञान M.A. Psychology	6865.00	3500.00	5315.00	3900.00	---	---
10	एम0 काम0 M.Com.	5465.00	2600.00	4415.00	3000.00	---	---
11	मास्टर इन जर्नलिस्म एवं मास कम्यूनिकेशन Master in Journalism and Mass Communication	7765.00	4400.00	6215.00	4800.00	---	---
12	एम0 ए0 / एम0 एस-सी0 गणित M.A./M.Sc. Mathematics	8265.00	4400.00	6215.00	4800.00	---	---
13	एम0ए0 भगूोल M.A. Geography	6865.00	3500.00	5315.00	3900.00	---	---
14	एम0 एस-सी0 इंटीग्रेटिव साइस M.Sc. Integrative Science	8265.00	4400.00	6215.00	4800.00	---	---
15	एम0 एस सी0 कंप्यूटर साइंस M.Sc. Computer Science	8265.00	4400.00	6215.00	4800.00	---	---
16	एलएल. एम. LL.M.	5465.00	2600.00	4415.00	4415.00	---	---
17	एम0 ए0 / एम0 एस-सी0 गृह विज्ञान M.A./M.Sc. Home Science	6865.00	3500.00	5315.00	3900.00	---	---

18	एम0 एस-सी0 खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी M. Sc. Food Science & Technology	-----	-----	-----	-----	-----	-----
19	एम. एससी. (कृषि) कृषि अर्थशास्त्र M. Sc. (Ag) in Agricultural Economics	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20	M.A./Master of Visual Art (M.V.A) in Painting पेंटिंग में एम.ए./मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (एम.वी.ए)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन में मास्टर ऑफ वोकेशन (एचटीएम में एम.वोक.) Master of Vocation in Hospitality & Tourism Management (M.Voc. in HTM)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	एम0 एस-सी0 रसायन विज्ञान M. Sc. Chemistry	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23	एम 0 एस-सी0 भौतिक विज्ञान M. Sc. Physics	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24	एम0 एस-सी0 जन्तु विज्ञान M. Sc. Zoology	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25	एम0 एस-सी0 वनस्पति विज्ञान M. Sc. Botany	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	M. B. A. in Agri-Business Management कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में एम.बी.ए.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

नोट:

1. उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क अलग से जमा करना होगा।
2. विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों के पाठ्यक्रम में यथानिर्धारित प्रोजेक्ट / लघुशोध / शैक्षणिक भ्रमण आदि शुल्क उसके सम्बंधित सेमेस्टर में जमा करनी होगी।
3. उपाधि शुल्क /अनुमति शुल्क व पंजीकरण शुल्क (Ex-छात्र/छात्राओं के लिए) उपरोक्त शुल्क से अलग से जमा करना होगा जो क्रमशः अंतिम सेमेस्टर / पुनः प्रवेश के समय जमा होगा।
4. विश्वविद्यालय छात्रावास की सुविधा उपयोग करने पर वार्षिक छात्रावास शुल्क रुपये 7200/ एवं सुरक्षा शुल्क रुपये 1500/- (वापसी योग्य) अलग से देय होगा।
5. शुल्क संरचना को विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश सरकार के उचित प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
6. एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही किसी अन्य कोर्स के लिए ट्रान्सफर अथवा समायोजित किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

आरक्षण

(Reservation)

2.1 प्रवेश में आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के वर्तमान आरक्षण नियमों के अनुसार देय होगा।

2-2 **आरक्षण संवर्ग-** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 21, 02 तथा 27 प्रतिशत स्थान (कुल 50 प्रतिशत) आरक्षित है। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र में यथास्थान अपने संवर्ग का चयन करना होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना मूल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 01 जुलाई 2021 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। केवल नवीन निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप पर बना प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

2.3 नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी मे माने जाएंगे।

क्षैतिज आरक्षण/ (Horizontal Reservation)

2-4 (क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन / कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिये पृथक-पृथक एक-एक प्रतिशत (1%) स्थान परन्तु अधिकतम कुल 05 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक / भूतपूर्व सैनिक / जम्मू व कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक आश्रित अथवा जम्मू व कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिए कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

(ग) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

नोट- दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

भारांक
(Weightage)

प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के आधार पर भारांक देय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश मेरिट में उन गतिविधियों के सम्मुख उल्लिखित अंक को जोड़कर वरीयता सूची जारी की जाएगी।

तालिका/Table
भारांकों की श्रेणी एवं निर्धारित भारांक

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	अंक
'अ'	**राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तरविश्वविद्यालय / खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को**	
	(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को -	20 अंक
	(ख) अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एकल एवं टीम खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को -	
	i. प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	15 अंक
	ii. द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	12 अंक
	iii. तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	10 अंक
	iv. प्रतिभाग करने पर	08 अंक
	(ग) अन्तर्विश्वविद्यालयीय (Zone) एवं राज्य स्तर पर एकल एवं टीम खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को -	
	i. प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	10 अंक
	ii. द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	08 अंक
	iii. तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	06 अंक
	iv. प्रतिभाग करने पर	04 अंक
	(घ) किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर्महाविद्यालयीय एकल एवं टीम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को -	
	i. प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	05 अंक
	ii. द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	03 अंक
	iii तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	02 अंक

'ब'	**नेशनल कैडेट कोर / राष्ट्रीय सेवा योजना / स्काउट एवं गाइड / रोवर्स व रेंजर्स के अभ्यर्थी**	
	1- नेशनल कैडेट कोर में सी-प्रमाणपत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाणपत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15 अंक
	या	
	2- नेशनल कैडेट कोर में ''बी'' प्रमाणपत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा 'जी-1' प्रमाणपत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थीको	10 अंक
	या	
	3- राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15 अंक
	या	
	4- राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10 अंक
	या	
	5- राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05 अंक
	या	
	6- स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स / रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15 अंक
	या	
	7- स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स / रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10 अंक
	या	
	8- स्काउट एवं गाइड्स का गुरूपद अथवा रोवर्स / रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05 अंक

	नोट- 1-उपरोक्त 1 से 8 के अंतर्गत गतिविधियों में से केवल एक ही गतिविधि का लाभ देय होगा। 2-किसी भी क्रिया के लिये अस्थायी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। 3-राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो शैक्षिक सत्रों में सदस्यता से है।	

नोट-

1. यदि किसी अभ्यर्थी को उपरोक्त "अ" से "स" तक उल्लिखित गतिविधियों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे मात्र 25 अंक का ही लाभ दिया जायेगा इससे अधिक का नहीं।
2. जो अभ्यर्थी भारांक प्राप्त करना चाहते हैं वे प्रवेश आवेदन-पत्र में यथास्थान भारांक अंकित करेंगे एवं सम्बन्धित प्रमाण-पत्र काउंसलिंग के समय ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
3. प्रवेश के समय उपर्युक्तभारांक के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न करने पर देय भारांक को वरीयता सूची से घटाकर उसे यथास्थान अंकित किया जायेगा, जिससे अभ्यर्थी द्वारा वरीयता सूची में प्राप्त स्थान प्रभावित हो सकता है।

अन्य सामान्य नियम व अनुदेश

3. प्रवेश काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक निर्देश (Instructions for Admission Counselling)

3.1 प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग से संबंधित सभी सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट वेबसाइट www.msdsu.ac.in या www.campusadmission.msdsuonline.in पर अपलोड की जायेगी।

3.2 मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन बुलाया जायेगा | इसकी सूचना अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन-पत्र में भरे गए मोबाइल नम्बर पर मैसेज (SMS) / ईमेल द्वारा एवं विश्वविद्यालय की उपरोक्त वेबसाइट से प्रेषित की जायेगी। अतः प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय अभ्यर्थी अपना स्थायी मोबाइल नंबर जरूर भरें जिससे उन्हें काउंसलिंग से सम्बंधित सूचना समय से प्राप्त हो सके।)

3.3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन बुलाये गये अर्ह अभ्यर्थियों को ही (Counselling Schedule के अनुसार) दी गयी तिथि एवं समय के अनुसार काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना होगा और अपने समस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा | अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

3.4 प्रवेश हेतु चुने गये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / EWS के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय नवीनतम जाति एवं आय का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 01 जुलाई, 2021 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र पिता पक्ष (के नाम) एवं आय प्रमाण-पत्र पति पक्ष (के नाम) से बना होना चाहिए।

3.5 आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत (EWS) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.6 यदि अनुसूचित जनजाति की सीट प्रवेश के लिए रिक्त रह जाती है और उस श्रेणी में कोई अन्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उस सीट पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु उक्त दोनो श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीट को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

3.7 एलएल0एम0 में प्रवेश के लिए एल0एल0बी0 में न्यूनतम 50% अंक (सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 45% अंक होना चाहिए।

3.8 एल०एल०एम०में इस सत्र में केवल क्रिमिनल लॉ में विशिष्टता अध्ययन प्रदान किया जायेगा |

3.9 काउंसलिंग /डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरान्त निर्धारित सीट के अनुसार अर्ह अभ्यर्थी की प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msdsu.ac.in या www.campusadmission.msdsuonline.in पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी उपरोक्त वेबसाइट पर प्रवेश सूची का अवलोकन अवश्य करे एवं सूची से अपना नाम मिलान कर वेबसाइट पर दी गयी अंतिम तिथि तक शुल्क Online Payment Gateway के माध्यम से अवश्य जमा करें अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4.0 नए पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना प्रवेश के समय निर्धारित होगी। 7 वर्ष से अधिक शैक्षणिक अंतराल प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.1 समस्त शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा।

4.2 प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया अनलाइन सम्पन्न होगी।

4.3 विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम मे प्रवेश का अंतिम प्राधिकार सुरक्षित रखता है।

4.4 अभ्यर्थीगण उपर्युक्त समस्त निर्देश ठीक से पढ़ कर उसका पालन सुनिश्चित करेंगे।

कुलसचि

ANTI-RAGGING UNDERTAKING BY THE STUDENT

(To be submitted to the office of the Department/Faculty)

1. I, (Name of Candidate) with enrollment No. …………………................... S/o (Father Name) having been admitted to (Class)– ------------------------. I,----------------------------------- have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions 2009, (hereinafter called the "Regulation") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to that constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that:
   a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
   b) I will not participate in or propagate through any act of commission or omission that any constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby declare the I have no been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___________________ day of ________________ of 2024.

____

Signature of deponent

Name ___________________

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or mis-stated therein.

Verified at Azamgarh on the _______________ day of __________ of 2024.

____

Signature of deponent

Name ______________

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।

MAHARAJA SUHEL DEV RAJYA VISHWAVIDYALAYA, AZAMGARH, UTTAR PRADESH

Email: vc@msdsu.ac.in I website: www.msdsu.ac.in